पेशी हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व आवेदन संख्या 125/2023 अनवान धरमाराम बनाम गोहनदास	नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
30/09/24	**आदेश** पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के वकील उपस्थित। अप्रार्थीगण की तलबी रजिस्टर्ड डाक से की गई है, तामिल पर्याप्त है। आज बावजूद सूचना अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध इकतरफा कार्रवाई अमल में लाई गई। बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी **मौजा आदर्श बस्ती विशाला पटवार हल्का बिशाला तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 870 रकबा 0.3561 एवं खसरा नम्बर 922 रकबा 10.5461 हैक्टेयर भूमि** का अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है, इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने को तैयार है। वकील प्रार्थी को सुनने के पश्चात पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहता है जो उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया **मौजा आदर्श बस्ती विशाला पटवार हल्का बिशाला तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 870 रकबा 0.3561 एवं खसरा नम्बर 922 रकबा 10.5461 हैक्टेयर भूमि** के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि उक्त कार्रवाई प्रार्थी व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा [illegible] 2 के मद्देनजर) की जावे। कमीश्नर फी[illegible] एक [illegible] पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, [illegible] पर अदा की जायेगी। इस आशय का आदेश तहसीलदार बाड[illegible] के नाम जारी हो। [illegible] रिपोर्ट प्राप्त होने पर सामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल–सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। 30/09/24 उपखण्ड अधिकारी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.06.26 17:33:16 IST
Reason: SelfAttested